मध्यप्रदेश शासन,
खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1130 /1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांक 29/8/2020

प्रति,

नियंत्रक,
नाप-तौल,
मध्यप्रदेश भोपाल।

कार्यालय नियंत्रक नाप-तौल
आवक नं. 276
दिनांक 01-9-2020
म.प्र. भोपाल

विषय- कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

0000

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन.40(06)/पीएफ-एस/2017-18/वॉल्यूV दिनांक 17 मई, 2020 के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्य सरकारों के वित्तीय स्त्रोतो पर गंभीर विपरीत प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के कतिपय विशिष्ट कार्यक्रमों के सुधारो विशेष कर व्यापार सरलीकरण के क्रियान्वयन की शर्तो के अध्याधीन वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उक्त सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित किया जाना अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्ययोजना 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंतर्गत औद्धोगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित की जाना है।

3. खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा Legal Metrology Act,2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध में वर्तमान तक जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते है :-

i. इस अधिनियम के समस्त निरीक्षण केवल cis.mpidc.co.in पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जावेगें।

ii. विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस पोर्टल पर आवश्कतानुसार किसी भी संस्था का उपयुक्त तिथि तथा समय पर निरीक्षण निर्देशित करेगा।

iii. प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश के पश्चात पोर्टल द्वारा उस संस्था के स्थल के लिए उपलब्ध निरीक्षकों में से एक निरीक्षक का चयन किया जावेगा। अतः प्राधिकृत अधिकारी की जवाबदारी होगी कि वह पोर्टल पर निरीक्षको की पदस्थापना संबंधी जानकारी uptodate रखे।

iv. जिन अधिनियमों में तृतीय पक्ष को निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे समस्त तृतीय पक्ष के निरीक्षकों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जावें।

v. चयनित निरीक्षकों को उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर निरीक्षण के संबंध में एक Message प्राप्त होगा। इस निरीक्षण के संबंध में निरीक्षक को अपनी उपलब्धता SMS में बताए गऐ नम्बर पर तत्काल सुनिश्चित करनी है। यदि विभाग द्वारा स्वीकृत कारणों से

संबंधित निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तो इस आशय की सूचना SMS में बताये गये तरीके से प्रदान करेगा।

vi. इस दशा में पोर्टल अन्य निरीक्षक को चयनित करेगा। यदि निरीक्षण को निर्धारित अवधि के 24 घंटे पहले तक कोई निरीक्षक सहमति नही देता है तो निरीक्षण निरस्त हो जावेगा। जिन निरीक्षकों ने बिना उपयुक्त कारणों के सहमति प्रदान नही की है उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

vii. निर्धारित तिथि को चयनित निरीक्षक संस्था पर जाकर निरीक्षण करेगें। निरीक्षण के 48 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर निरीक्षण स्वत: शून्य व निष्प्रभावी घोषित हो जावेगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित निरीक्षक की होगी। तृतीय पक्ष निरीक्षक की दशा में इसकी जानकारी संबंधित रजिस्ट्रीकरण संस्था को कार्यवाही हेतु प्रदान की जावेगी। आगामी निरीक्षणों के लिए शासन उसे प्रतिबंधित भी कर सकेगा।

viii. निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होने के बाद संबंधित संस्था को उपलब्ध होगी। संस्था के उत्तर (यदि कोई है तो) के साथ प्राधिकृत अधिकारी को पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके आधार पर विभाग आगामी कार्यवाही करेगा।

उक्त व्यवस्था 01 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील होगी।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्रमांक /131/1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांक 29/8/2020

प्रतिलिपि,

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपल को उनके पत्र दिनांक 02 जून,2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमि. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग